राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मध्यप्रदेश राज्य केन्द्र, भोपाल
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र(NIC), मध्यप्रदेश राज्य केन्द्र, भोपाल द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सप्ताह (रोकथाम, निषेध और निवारण) में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गयी |

एनआईसी म॰प्र॰ राज्य इकाई मे **राज्य स्तरीय शिकायत समिति**(एसएलसीसी) की अध्यक्ष श्रीमति गीतांजली मेहता, वरि॰ निदेशक(आईटी) द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में उनकी समिति द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे मे कार्यालय के सभी लोगों को अवगत कराया | उन्होने बताया :

- जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यालय परिसर मे सीसीएस आचरण नियमावली, 1964 के नियम **3-सी के पोस्टर के माध्यम से जानकारी,** परिसर मे उचित जगह पर प्रदर्शित की गयी है | समिति के बारे में एनआईसी म॰प्र॰ राज्य इकाई की वैबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है |
- विशेष रूप से यौन उत्पीड़न सप्ताह (रोकथाम, निषेध और निवारण) मनाने के लिए एक उपयुक्त पोस्टर के माध्यम से जागरूकता को बढ़ाया गया है |

इस सप्ताह के अवसर पर दिनांक 06/12/2023 को एन.आई.सी., राज्य केंद्र और जिला केंद्रों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के संबंध में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की समस्याओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिसमें मध्यप्रदेश राज्य केन्द्र, भोपाल के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे ।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह के अंतर्गत - आयोजित व्याख्यान मे NIC म.प्र. के <u>समस्त जिलों के अधिकारी वीसी के माध्यम</u> से सम्मिलित हुए |

व्याख्यान में अतिथि, श्रीमति प्रोफेसर(डॉ॰) मोना पुरोहित, कानूनी अध्ययन और अनुसंधान विभाग की डीन एवं प्रमुख(बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल) ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रोकथाम के पहलुओं के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जानकारी दी जैसे -

- (Prevention of Sexual Harassment Act- PoSH) अधिनियम 2013 में भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किये जाने वाले दुर्व्यवहार के मुद्दे को हल करने के लिये बनाया गया एक कानून है।
- अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिये कार्यालय सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना तथा उन्हें यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है।
- रोकथाम और निषेध: अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिये नियोक्ताओं पर कानूनी दायित्व डालता है।
- 'विशाखा दिशानिर्देश-' एवं महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW) के बारे मे भी संक्षिप्त मे बताया |

उक्त आयोजन के दौरान लिए गए कुछ छाया चित्र प्रस्तुत है ।

--